भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5849

उत्तर देने की तारीख 30 मार्च, 2026

सोमवार, 09 चैत्र, 1948 (शक)

रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्र में जेएसएस कवरेज

5849. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार युवाओं, महिलाओं और कामगारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर को शामिल करने वाले मध्य प्रदेश के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24 में वर्तमान में कितने जेएसएस अथवा प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उन व्यवसायों का ब्यौरा क्या है जिनमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ग) क्या जागरूकता की कमी, सीमित संसाधनों और प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण उक्त योजना का अपेक्षित लाभ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना की पहुंच बढ़ाने, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का उद्देश्य भारत सरकार के पूर्ण अनुदान से लाभार्थियों के घर पर ही अनौपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार/मजदूरी को बढ़ावा देकर परिवार की आय में वृद्धि करना है। योजना के लक्षित लाभार्थी 15-45 वर्ष आयु वर्ग के निरक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले छात्र हैं। प्राथमिकता वाले समूह ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में महिलाएं (83%), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक हैं।

वर्तमान में, कुल 294 जेएसएस कार्यरत हैं, जिनमें से 29 मध्य प्रदेश राज्य में कार्यरत हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के लोक सभा क्षेत्र संख्या 24 में स्थित जेएसएस रतलाम भी शामिल है। झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में कोई भी जेएसएस सक्रिय नहीं है। इसके अलावा, रतलाम जिले में जेएसएस योजना के तहत ट्रेडों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ट्रेड का ब्यौरा
सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर
सहायक ड्रेस मेकर
सहायक हेयर ड्रेसर - सैलून सेवाएं (एडवांस)
सहायक हाथ की कढ़ाई - (फुलकारी / चिकनकारी / कश्मीरी / ज़री ज़रदोजी / कांथा)
सहायक - जूट शिल्प उत्पाद निर्माता
ब्यूटी केयर असिस्टेंट
दर्ज़ी - एडवांस्ड
सहायक विद्युत तकनीशियन
धागे/मोती के कारीगर (फैशन ज्वेलरी)

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जेएसएस योजना का लाभ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचे, जेएसएस द्वारा ग्राम और ब्लॉक स्तर पर उनकी परिचालन गतिविधियों के हिस्से के रूप में जागरूकता और लामबंदी गतिविधियां चलाई जाती हैं। जेएसएस केंद्र गैर-साक्षर और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें आजीविका-अभिविन्यस्त कौशल प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रेरित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

इसके अलावा, जेएसएस संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी केंद्रों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों के साथ मिलकर लाभार्थियों की पहचान और उन्हें संगठित करने का काम करती हैं। ये संस्थाएं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने, पात्र महिला लाभार्थियों की पहचान करने और ग्रामीण एवं हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, स्थानीय मांग के आधार पर राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप 51 जॉब रोल्स को अपनाया गया है, जिनमें 28 आधुनिक जॉब रोल्स शामिल हैं। इससे क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक प्रशिक्षण और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित होते हैं। इसके अलावा, स्किल इंडिया, जेएसएस और एनसीवीईटी के लोगो और क्रेडिट विवरण वाले एनसीवीईटी-अनुरूप प्रमाणपत्र लाभार्थियों के लिए विश्वसनीयता, सुवाह्यता और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं।

रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, प्रत्येक जेएसएस में एक आजीविका प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसका नेतृत्व जेएसएस के कार्यक्रम अधिकारी करते हैं और अन्य स्टाफ सदस्य उनका सहयोग करते हैं। यह प्रकोष्ठ प्रशिक्षित जेएसएस लाभार्थियों, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) से जोड़ता है ताकि उनकी उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। आजीविका प्रकोष्ठ उन्हें आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल से भी जोड़ता है, लाभार्थियों को बाजार की मांग के अनुसार संबंधित ट्रेड़ों में स्वरोजगार/वेतन रोजगार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श सहायता प्रदान करता है और जेएसएस लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय सहायता/ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियोक्ताओं, बैंकों/सूक्ष्म वित्त संस्थानों/राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है।
